



अनुबंध – II

कृषि बुनियादी संरचना और संबद्ध कार्यकलाप के तहत पात्र गतिविधियों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी गई है:

1) कृषि बुनियादी संरचना	i) भंडारण सुविधाओं (भंडारघर, बाज़ार प्रांगण, गोदाम और साइलो) जिनमें कृषि उत्पाद/उत्पादनों के भंडारण के लिए बनाए गए कोल्ड स्टोरेज यूनिट/कोल्ड स्टोरेज चेन शामिल हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, के निर्माण के लिए ऋण। ii) भू-संरक्षण और जल विभाजन (वॉटरशेड) विकास के लिए ऋण। iii) ऊतक (टिशू) संवर्धन और कृषि जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नोलॉजी), बीज उत्पादन, जैविक (बायो) कीटनाशकों का उत्पादन, जैविक उर्वरक, और कृमि कंपोस्टिंग के लिए ऋण। iv) कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों को ऋण के साथ जैव-ईंधन के उत्पादन, उनके भंडारण और वितरण बुनियादी संरचना के लिए तेल निष्कर्षण/प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण के लिए ऋण।
2) संबद्ध कार्यकलाप	(i) एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस केंद्रों की स्थापना के लिए ऋण। (ii) व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा संगठनों द्वारा प्रबंधित ऐसे कस्टम सेवा यूनिटों को ऋण जो ट्रैक्टर, बुलडोज़र, कुआं खोदने के उपकरण, थ्रेशर, कंबाइन्स, आदि का बेड़ा रखते हैं और किसानों के लिए संविदा आधार पर कृषि कार्य करते हैं। (iii) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) और बड़े आकारवाली आदिवासी बहु-उद्देश्य समितियों (एलएएमपीएस) को आगे कृषि के लिए ऋण प्रदान करने हेतु दिए गए ऋण। (iv) बैंकों द्वारा इन मास्टर निदेशों के पैरा 22 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कृषि के लिए आगे-उधार प्रदान करने हेतु एमएफआई को स्वीकृत ऋण। (v) बैंकों द्वारा इन मास्टर निदेशों के पैरा 23 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को स्वीकृत ऋण।